बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–03–07 / 2025(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, मोतिहारी के पत्रांक–6829 दिनांक–18 12 2024 एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्राक–289 दिनांक–12.12.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डॉ० अशोक कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहसी, मोतिहारी के विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों / कर्मी की सूचना नियत्री पदाधिकारी को नहीं देने, आकस्मिक स्थिति को नियत्रित करने हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होने एवं दवा भण्डार का कार्य परिचारी से कराने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं०–919(9) दिनांक–11.08.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी। जिसके अनुपालन में डॉ० कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

2. डॉ० कुमार द्वारा समर्पित अभिकथन में निरीक्षण दल का संस्थान में साफ–सफाई एवं कर्मचारियों की उपस्थिति पर संतोष व्यक्त किये जाने, निरीक्षण दल के निदेशानुसार श्रीमती खलीला खातुन को प्रसव कक्ष के इन्चार्ज से मुक्त करते हुए श्रीमती पूजा कुमारी को प्रसव कक्ष का प्रभार दिये जाने, निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित चिकित्सकों का वेतन अवरूद्ध किये जाने, श्री विभूति भूषण सिह, जी०एन०एम० द्वारा भण्डार से Stich एवं BP Blade की मॉग नहीं करने के कारण उपलब्ध नहीं कराने, डॉ० शिव भूषण कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पत्रांक–192 दिनांक–07.09.2019 द्वारा श्री सुनील कुमार, परिचारी को दवा भण्डार का कार्य करने हेतु निदेश दिये जाने से अवगत कराया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० कुमार द्वारा समर्पित अभिकथन की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि डॉ० कुमार संस्थान में अनुपस्थित चिकित्सक एवं कर्मी के अनुपस्थित रहने की सूचना नियंत्री पदाधिकारी को नहीं देने का आरोप पर कोई प्रतिकार नहीं किया गया है। कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर अनुचित प्रश्रय देने का आरोप प्रमाणित होता है। निरीक्षण में डॉ० कुमार का कर्त्तव्य पर उदासीनता उजागर होने के उपरान्त अनुपस्थित कर्मियों का वेतन अवरूद्ध करने की कार्रवाई की गयी है। फलत· डॉ० कुमार का प्रशासनिक विफलता तथा स्वास्थ्य केन्द्र, पर समुचित नियंत्रण नहीं होने आदि के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(i) के अधीन निन्दन (वर्ष 2024) की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डॉ० अशोक कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहसी, मोतिहारी के विरूद्ध दायित्व के प्रति संवेदनहीनता एवं कार्य के प्रति अभिरूचि नहीं लेने के आरोप में निन्दन (वर्ष 2024) की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

26/08/2025

Email

ज्ञापांक--9/आ0–03–07/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–.................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–03–07/2025(स्वा0) 531(9)/ पटना, दिनांकः–26·05·26

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० अशोक कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहसी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/05/2026

सरकार के अवर सचिव।